बिहार सरकार

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णियाँ
पत्रांक– 63. पूर्णियाँ/दिनांक– 13 /01/2024
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 04/2023–24

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 13.01.2024
2. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :– 22.01.2024 से 24.01.2024 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि :– 25.01.2024 3:00 बजे अपराह्न तक।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय:– 25.01.2024 3:30 बजे अपराह्न।
6. प्राईस बीड खोलने की तिथि :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :– (क) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया।
(ख) अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया।
(ग) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग, कटिहार
(कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया)
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :– क्रमांक 7 में वर्णित स्थानों पर।
9. कार्य का विवरण :–

क्र0. सं0.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	पूर्णिया जिलान्तर्गत महानन्दा शिविर पूर्णिया में अवस्थित निरीक्षण भवन का मरम्मति एवं संपोषण कार्य।	321158	6500	750	25-02-2024	केवल पूर्णिया जिला के स्थानीय निविदादाताओं के लिए

10. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त्त, नियम अर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिणाम विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

13/01/24

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
प्रमंडल, पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0–7463889220

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है, तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगा। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2% एवं 100 के गुणक में होगा।
2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधी जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभुति जो कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जायेगी।
3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंक से ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया के पदनाम से निर्गत हो एवं S.B.I. पूर्णियाँ में भुगतेय हो को ही स्वीकार किये जाऐंगे।
4. निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 01 से 02 जिसमें क्रमांशः प्री–क्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड रहेगा। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सिल कर समर्पित करना होगा। निविदा प्राप्त करने /खोलने की तिथि को क्रमांक – 7 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में प्री–क्वालिफिकेशन वाले लिफाफे का ही खोला जाएगा। प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल निविदाकारों का दूसरा लिफाफा (प्राइस बीड) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाताओं का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय बीड/प्राइस बीड) खोला जायेगा। असफल निविदादाताओ का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय बीड/प्राइस बीड) जस का तस संबंधित निविदादाताओं को लौटा दिया जाएगा।
5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–13589(S), पटना दिनांक 13.12.11 के कंडिका(4) के उपकंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000/– (पचीस लाख) तक के कार्यो के निविद में श्रेणी–4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
6. निविदादाताओं को प्री–क्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित एवं अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (क) निविदाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र।
   (ख) निर्गत परिणाम विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित् करना अनिवार्य है।
   (ग) निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा।
   "I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upto the FIR and lawful punishment as well as black listing."
   (घ) आरक्षित कोटि के निविदाता को एक अलग शपथ–पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में आरक्षण के प्रावधान के आधार पर अबतक उन्हें आवंटित सभी कार्यो की कुल राशि की सूचना देना अनिवार्य होगा।
   (ड़) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   प्री–क्वालिफीकेशन बीड में सफलता का निर्धारण पत्रांक–528 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप ऊपर तीनों कागजातों के साथ–साथ कुल आवंटित कार्यो की सूचना शपथ–पत्र के रूप में जाति प्रमाण–पत्र (अभिप्रमाणित) के आधार पर होगा।
7. संवेदक को लिफाफे के ऊपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथा संभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।
8. निविदा दर हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 915, दिनांक 24.12.2022 का अनुपालन किया जायेगा।
9. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को रदद् करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्त्तो के साथ–साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्ते निविदा के लिये मान्य होगी।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
12. सफल निविदादाता को जन कार्य प्रपत्र एफ–2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
13. संदेहास्पद र्का करने वाले एवं जिनके विरूद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आवंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।
14. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बार्ड मद हेतु कटौति की जाएगी।
15. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी, जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी।
16. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी। इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है यदि काई अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाये तो निविदा को खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी।

17. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में फार्म–'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 प्रतिशत फ्लेट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/कार्य संवेदक के विपत्र से काटी जाएगी।
18. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट पर देखें।
19. संवेदक को किये गये कार्य का भुगतान तभी होगा जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा।
20. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग के संहिता के अनुरूप लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।
21. एकरारनामा के समय G.S.T. No. एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

(ह०) 13/01/24
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
प्रमंडल, पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0– 7463889220

पत्रांक......63.......**पूर्णियाँ/दिनांक**......13. 01.......**/2024**

प्रतिलिपिः– जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

(ह०) 13/01/24
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
प्रमंडल, पूर्णियाँ।
मोबाईल नं0– 7463889220